पत्र संख्या-स्था-6-सामान्य-उर्दू अनुवादक (77)2013-14// 3967 // वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ // दिनांक // 29 // नवम्बर, 2013

1- समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।

विषय :- वेतन समिति 2008 के नवम् प्रतिवेदन भाग-1 में राजकीय विभागों के उर्दू अनुवादक संवर्ग के विषय में की गयी संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उक्त विषयक कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-15/10/94-का-4-2013 दि0 11-10-2013 **(प्रति संलग्न)** का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो राजकीय विभागों के उर्दू अनुवादक संवर्ग में उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ सहायक को **वेतन बैण्ड-1 रु0 5200-20200 ग्रेड पे रु0 1900 के स्थान पर तत्काल प्रभाव से वेतन बैण्ड-1 रु0 5200-20200 ग्रेड पे रु0 2000 अनुमन्य कराये जाने, उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ सहायक संवर्ग के तृतीय स्तर का पद का नाम उर्दू अनुवादक सह प्रभारी अधिकारी (प्रशासन) के स्थान पर उर्दू अनुवादक सह प्रधान सहायक किये जाने तथा जिन विभागों में उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ सहायक के स्वीकृत पदों की संख्या 03 पद से कम है, उस विभाग में इस संवर्ग का संवर्गीय ढ़ाचा निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में कतिपय निर्देश दिये गये हैं।**

उपरोक्त सन्दर्भ में आपसे अपेक्षा की जाती है कि उक्त शासनादेश में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

श्री रामदेव

(राम मनोहर मिश्र)
एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2/12/12

पृ0प0सं0 व दिनांक उक्त।

उक्त पत्र की प्रतिलिपि शासनादेश दिनांक 11-10-2013 की प्रति के साथ निम्नलिखित को अनुपालनार्थ प्रेषित :-

1- अपर निदेशक (प्रशिक्षण) वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2- ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

3- समस्त आहरण वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।

2173
29/11/13

(दिनेश चन्द्र गुप्ता)
डिप्टी कमिश्नर (स्थापना अराज0) वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।

उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग–4
संख्या–15/10/94–का–4–2013
लखनऊ: दिनांक: 11 अक्टूबर, 2013

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश संख्या–80–सी.एम./47–का–4–94–15/10/94, दिनांक 20.8.1994, कार्यालय ज्ञाप संख्या–15/10/94–का–4–2007, दिनांक 21.2.2007 एवं समसंख्यक कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30.11.2011 के कम में, वेतन समिति (2008) के नवम् प्रतिवेदन, भाग–1 में राजकीय विभागों के उर्दू अनुवादक संवर्ग के संबंध में की गयीं संस्तुतियों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा लिये गये निम्न निर्णयों से आपको अवगत कराने का अधोहस्ताक्षरी को निदेश हुआ है:–

(1) उर्दू अनुवादक–सह–कनिष्ठ सहायक पद पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–1 रूपये–5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रूपये–2000.00 तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय।

(2) उर्दू अनुवादक–सह–कनिष्ठ सहायक संवर्ग के तृतीय स्तर के पद का नाम उर्दू अनुवादक–सह–प्रभारी अधिकारी (प्रशासन) के स्थान पर, उर्दू अनुवादक–सह–प्रधान सहायक रखा जाय।

(3) ऐसे विभाग, जहां उर्दू अनुवादक–सह–वरिष्ठ सहायक के पदों की संख्या के 30 प्रतिशत का आगणन 01 पद से कम बनता हो, वहां उर्दू अनुवादक–सह–प्रधान सहायक का न्यूनतम 01 पद रखा जाय।

(4) उर्दू अनुवादक–सह–कनिष्ठ सहायक के 03 पदों से कम संख्या वाले विभागों, जहां 30 प्रतिशत का आगणन 01 से कम आता है, वहां संवर्ग के पदों का ढांचा निम्नवत् निर्धारित किया जाय:–

क.सं.	संवर्ग के कुल पदों की संख्या	संवर्गीय पदों के पदनाम, ग्रेड वेतन एवं निर्धारित संख्या
1	2	3
1.	01	1– 01 पद, उर्दू अनुवादक–सह–कनिष्ठ सहायक पदनाम एवं ग्रेड वेतन रूपये–2000.00 अनुमन्य होगा। 2– 15 वर्ष की सेवा पर उक्त पदधारक का पदनाम उर्दू अनुवादक–सह–वरिष्ठ सहायक एवं ग्रेड वेतन रूपये–2800.00 अनुमन्य होगा। 3– उर्दू अनुवादक–सह–वरिष्ठ सहायक के रूप में 09 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर उक्त पदधारक का पदनाम उर्दू अनुवादक–सह–प्रधान सहायक एवं ग्रेड वेतन रूपये–4200.00 अनुमन्य होगा।
2.	02	1– 02 पद, उर्दू अनुवादक–सह–कनिष्ठ सहायक पदनाम एवं ग्रेड वेतन रूपये–2000.00 अनुमन्य होगा। 2– 15 वर्ष की सेवा पर उक्त पदधारक का पदनाम उर्दू अनुवादक–सह–वरिष्ठ सहायक एवं ग्रेड वेतन रूपये–2800.00 अनुमन्य होगा। 3– उर्दू अनुवादक–सह–वरिष्ठ सहायक के रूप में 09 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर उक्त पदधारक में से वरिष्ठतम 01 पदधारक

		का पदनाम उर्दू अनुवादक–सह–प्रधान सहायक एवं ग्रेड वेतन रूपये–4200.00 अनुमन्य होगा।
3.	03	1– 03 पद, उर्दू अनुवादक–सह–कनिष्ठ सहायक पदनाम एवं ग्रेड वेतन रूपये–2000.00 अनुमन्य होगा। 2– 15 वर्ष की सेवा पर उक्त पदधारक का पदनाम उर्दू अनुवादक–सह–वरिष्ठ सहायक एवं ग्रेड वेतन रूपये–2800.00 अनुमन्य होगा। 3– उर्दू अनुवादक–सह–वरिष्ठ सहायक के रूप में 09 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर उक्त पदधारक में से वरिष्ठतम 01 पदधारक का पदनाम उर्दू अनुवादक–सह–प्रधान सहायक एवं ग्रेड वेतन रूपये–4200.00 अनुमन्य होगा।

(5) उर्दू अनुवादक–सह–कनिष्ठ सहायक से 15 वर्ष की सेवा पर उर्दू अनुवादक–सह–वरिष्ठ सहायक के रूप में उच्चीकृत होने तथा 09 वर्ष की सेवा वाले उर्दू अनुवादक–सह–वरिष्ठ सहायक से उर्दू अनुवादक–सह–प्रधान सहायक के रूप में उच्चीकृत होने को, संबंधित पदधारकों की पदोन्नति मानी जायेगी तथा उनका वेतन शासनादेश दिनांक 8.12.2008 के प्रस्तर–11 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

2. समसंख्यक कार्यालय ज्ञाप दिनांक 3.11.2011 को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

3. अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्णयों के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

4. उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–वे.आ.–2–1009/दस/2013, दिनांक 11 सितम्बर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या–15/10/94(1)–का–4–2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–5
6. वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2
7. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1/2
8. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(सुरेश चन्द्र यादव)
विशेष कार्याधिकारी

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 09 सा० नियुक्ति–26.10.2013.–(1099)–2000 प्रतियां (आफसेट)।